

Hindi

← Back

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

04/August/2025 10:17:03 PM

जनपद : आगरा

तहसील : आगरा

ग्राम : ककुआ



भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

नम्बर : १-५८/ घूम जा ताम्र/नामाप घूमपरा ५/जापपकार न १।।

खातेदार का विवरण

खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण

भूमि का विवरण

खातेदार का अंश

खसरा/ गाटा संखा	(2) नाम/पिता-पति- संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संखा अथवा आदेश संखा / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष / कम्प्यूटरीकृत	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हेतु)	(7) हिस्से में क्षेत्रफल(हेतु)	(8) क्षेत्रफल में(हेतु)	(9) खातेदार द्वारा देय भू- राजस्व

699	1) प्रेम सिंह / भगवान सिंह / नि. ग्राम	1420	699 (1246210699000012)	0.5930	11.40
	2) कुरु रीना / प्रेम सिंह / नि. ग्राम				

कुल गाटे : एक

कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव पांच नौ तीन शून्य (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : एक एक दशमलव चार शून्य रुपये

अपमाणित प्रति

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया	दर्ज किया गया				
<p>(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संखा अथवा आदेश संखा / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक</p>	<p>(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)</p>	<p>(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड</p>	<p>(13) क्षेत्रफल(हेंट)</p>	<p>(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं० (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं० (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)</p>	<p>(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड</p>	<p>(16) क्षेत्रफल(हेंट)</p>
<p>1) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T202501010101804 / 27-02-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 13-03-2025</p>	<p>1.1) कु० रीना/प्रेम सिह/नि. ग्राम (:-) 2.1) प्रेम सिह/ भगवान सिह/नि. ग्राम (:-)</p>	<p>699 (1246210699000012)</p>	<p>1.1) - 2.1) -</p>	<p>1.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा / - / -</p>	<p>699 (1246210699000012)</p>	<p>1.1) - 2.1) -</p>

2) अन्य /
 T202501010101811
 / 27-02-2025 / विक्रय
 / ASHOK KUMAR () /
 02-04-2025

प्राधिकरण
 आगरा / - /
 -

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :

1) 1431फ कार्यालय सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति आगरा मुकदमा नं० 02 ता०फै० 25-04-2022 विज्ञप्ति संख्या का०आ०3870(अ) दि० 20-09-2021 के अनुसार मौजा ककुआ के गाटा संख्या 699 रकवा 0.0604हे० से प्रेम सिंह पुत्र भगवान सिंह व कु० रीना पत्नी भगवान सिंह नि० ग्राम का नाम पृथक करके उसके स्थान पर नवीन इनर रिंग रोड निर्माण हेतु (राष्ट्रपति भारत सरकार वास्ते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली) का नाम दर्ज हो द्वारा परवाना ह०आर०के०

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त ऑक्टें मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

अपमाणित प्राप्ति



न्यायालय : - तहसीलदार

मण्डल : आगरा, जनपद : आगरा, तहसील : आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या : - T202501010101811

वाद संख्या : - 1811/2025

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम प्रेम सिंह

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006, अन्तर्गत धारा : - 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि : - 27/02/2025

वाद सं 0 ज 202501010101811/2025 अन्तर्गत धारा 34 आरोसी 0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम प्रेम सिंह

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टर के आरोसी 0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 699 रकवा 0.5930 हेंड में से 0.5326 हेंड का 1/2 भाग रकवा 0.2663 हेंड का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने प्रेम सिंह से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। मौजा ककुआ के गाटा संख्या 699 रकवा 0.5930 हेंड में से 0.5326 हेंड का 1/2 भाग रकवा 0.2663 हेंड का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं 00277 के गाटा संख्या 699 रकवा 0.5930 हेंड में से 0.5326 हेंड का 1/2 भाग रकवा 0.2663 हेंड लगान 60 ख अनुसार से विक्रेता प्रेम सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी ग्राम ककुआ तह 0 व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास



प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भ० द्वारा बैनामा प्रतिफल 22380967-र० आवेदन संख्या-202400766063917 दिनांक 16.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010101804

वाद संख्या:- 1804/2025

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम रीना चाहर

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 27/02/2025

वाद सं0 ज2025010101804/2025 अन्तर्गत धारा 34 आरोसी0

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम कु0 रीना उर्फ रीना चाहर

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टर के आरोसी0 प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सुचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 699 रकवा 0.5930हे0 का 1/2 भाग यानि रकवा 0.2663हे0 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने कु0 रीना उर्फ रीना चाहर से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 699 रकवा 0.5930हे0 का 1/2 भाग यानि रकवा 0.2663हे0 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं0 00277 के गाटा संख्या 699 रकवा 0.5930हे0 का 1/2 भाग यानि रकवा 0.2663हे0 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता कु0 रीना उर्फ रीना चाहर पुत्री प्रेम सिंह निवासी ग्राम ककुआ तह0 व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास



प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भ० द्वारा बैनामा प्रतिफल 22380966/-रु0 आवेदन संख्या-202400766063918 दिनांक 16.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"